88

<u>**न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर**</u>

प्र0क0 0 /17 निगरानी – 5193/2018/शाजापुर/भू.रा.

दीनदयाल पिता घुडूलाल आयु 35 साल जाति जाट धंधा कृषि निवासीग्राम मगरानिया तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र.................**याचिकाकर्ता**

विरूद्ध

छगनलाल पिता लक्ष्मीनारायण आयु 20 साल धंधा कृषि जाति जाट निवासीग्राम मगरानियॉ तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र. ....**विपक्षी**

प्रार्थी आवेदक श्री पुरूषोत्तम तिवारी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 20/7/18
अधीक्षक 20/7/18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

525
20/7/18

<u>**पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 राजस्व निरीक्षण वृत्त 1 शुजालपुर के द्वारा 65 अ-12/2017-2018 छगनलाल विरूद्ध म0प्र0 शासन में किये गये सीमांकन दिनांक 28-6-2018 से दुखीत होकर**</u>

<u>माननीय महोदय,</u>

<u>पुनरीक्षण कर्ता निम्नानुसार पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता है।</u>

<u>!! प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य !!</u>

1. यह कि प्रकरण के तथ्य सक्षिप्त में इस प्रकार है कि रिस्पार्डेट ने एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 129 म.प्र. भू. राजस्व संहिता का तहसील न्यायालय शुजालपुर में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वेनंबर 674 रकबा 0.61 हैक्टर भूमि ग्राम मगरानियों में स्थित है आवेदक ने अपने आवेदनपत्र में आगे कथन किया कि आवेदक का पडोसी कृषको से कभी कभी सीमा विवाद करते है

निरन्तर..............2

नि.अ. दीनदयाल

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5193/2018/शाजापुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी. दुबे उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.01.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	

Scanned by CamScanner